न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 17/2019

प्रार्थी

गणेशदास पुत्र हीरादास जी, जाति– वैष्णव, निवासी–वेलांगरी, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भवानीसिंह पुत्र वागसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–वेलांगरी, तहसील व जिला–सिरोही
2. ग्राम पंचायत, वेलांगरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वेलांगरी, तहसील व जिला– सिरोही
4. पंचायत समिति, सिरोही जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री योगेश कुमार प्रजापत, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 13 अक्टूम्बर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र वागसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– वेलांगरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित ने जरिये वकालतनामा उपस्थित दी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (भवानीसिंह) की ओर से निगरानी आवेदन का लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हीरादासजी द्वारा उनके जीवनकाल में वर्ष 1956 में अर्थात् 63 वर्ष पहले ग्राम पंचायत, वेलांगरी से आम निलामी में भूखण्ड खरीद शुदा है जिसका पट्टा संख्या 2 ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा दिनांक 12.4.1956 को क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट का जारी किया हुआ है तथा उक्त पट्टा प्रार्थी के पिता वैष्णव हीरादास पुत्र मोतीदासजी के नाम से व प्रार्थी के बड़े भाई देवीदास के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया हुआ हैं तथा उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी गणेशदास व उसके तीन भाई श्री देवीदास, मूलदास एवं प्रकाशदास संयुक्त रूप से आपसी समझ से अधिवास कर रहे हैं इस प्रकार उपरोक्त प्लोट स्वर्गीय हीरादासजी वैष्णव के वारिसदार पुत्रगण प्रार्थी व उसके तीनों भाईयों के पुश्तैनी सामलाती सम्पति 40X40= 1600 [illegible] आवासीय भूखण्ड है, प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी पट्टाशुदा भूखण्ड के दक्षिणी [illegible]त दुकाननुमा बने कमरों में से 210 वर्गफीट भू भाग प्रार्थी के [illegible] साल पहले अप्रार्थी संख्या– 1 (भवानीसिंह) को [illegible] प्रतिफल प्राप्त [illegible] बेचान किया था [illegible] विक्रय [illegible]दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विलेख अप्रार्थी ने उसकी सुविधानुसार बाद में पंजीयन कराने हेतु कहा था, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 (भवानीसिंह) ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मेलमिलाप करते हुये राजकोष को क्षति पहुंचाते हुये प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व के उक्त पुश्तैनी प्लोट में से बेचान किये गये भू भाग 210 वर्गफीट का पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.07.2017 को अप्रार्थी संख्या–1 (भवानीसिंह) के नाम से नियम 157 (1) जारी किया गया हैं जबकि विधि अनुसार उक्त बेचान शुदा भू भाग का नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाकर अप्रार्थी भवानीसिंह द्वारा विक्रय विलेख पंजीयन कराना था परन्तु ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी भवानीसिंह को अनुचित लाभ देने हेतु प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी संयुक्त स्वामित्व के मूल पट्टा शुदा भूखण्ड की भूमि पर ही बाला बाला गलत रुप से पट्टा संख्या 37 जारी किया है, जबकि अप्रार्थी भवानीसिंह का भूखण्ड़ प्रार्थी के पुश्तैनी मूल पट्टा संख्या 2 दिनांक 12.4.1956 में से बेचान किये गये भूखण्ड़ का पट्टा संख्या 37 जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी भवानीसिंह के नाम से जारी पट्टा संख्या 37 का भू खण्ड खरीद शुदा है जो तत्कालीन ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा जारी शुदा मूल पट्टा संख्या 2 दिनांक 12.4.1956 का भूखण्ड का हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी संख्या ने ग्राम पंचायत, वेलांगरी से मेल मिलाप कर विक्रय विलेख निष्पादन का पंजीयन कराने के बजाय राजकोष में स्टाम्प शुल्क की अदायगी से बचने हेतु उक्त पट्टा संख्या 37 अप्रार्थी भवानी सिंह के नाम से जारी किया है। ग्राम वेलांगरी, तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थी के संयुक्त हिन्दु परिवार का पुश्तैनी कब्जे शुदा पट्टा शुदा मालकी स्वामित्व का भूखण्ड़ आया हुआ है जिसके पूर्व दिशा में आम रास्ता में दरवाजा दो, पश्चिम दिशा में खालसा जमीन, उत्तर दिशा में खालसा जमीन, दक्षिण दिशा में आम रास्ता है एवं नाप पूर्व–पश्चिम 40 फीट व उत्तर–दक्षिण 40 फीट कुल 1600 वर्गफीट है। उक्त नाप व चतुदर्शी का आवासीय पट्टा शुदा भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हीरादास पुत्र मोतीरामजी वैष्णव के जीवनकाल के समय का पुश्तैनी प्लोट हैं, उक्त प्लोट प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हीरादासजी द्वारा उनके जीवनकाल में वर्ष 1956 में अर्थात् 63 वर्ष पहले ग्राम पंचायत वेलांगरी से निलामी में खरीद शुदा है, जिसका पट्टा संख्या 2 ग्राम पंचायत वैलांगरी द्वारा दिनांक 12.4.1956 को जारी किया हुआ है जो प्रार्थी के पिता वैष्णव हीरादास पुत्र मोतीदासजी के नाम से व प्रार्थी के बड़े भाई देवीदास के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया हुआ हैं तथा उक्त भूखण्ड़ पर प्रार्थी गणेशदास व उसके तीन भाई श्री देवीदास, मूलदास एवं प्रकाशदास संयुक्त रूप से आपसी समझ से अधिवास कर रहे हैं एवं उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी व उसके तीनों भाईयों के पुश्तैनी सामलाती सम्पति हैं। प्रार्थी व उसके तीनों भाइयों के उक्त पट्टा शुदा कब्जा शुदा पुश्तैनी भूखण्ड पर अपने पिता के जीवनकाल के समय से करीब 63 वर्षों से शान्ति पूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, तथा प्रार्थी ने अपने उक्त भूखण्ड पर घरेलू बिजली कनेक्शन भी ले रखा हैं तथा उक्त पुश्तैनी भूखण्ड़ पर प्रार्थी व उसके भइयों के मकानात व आम रास्ते की साईड में दुकाननुमा कमरे बने हुये हैं। प्रार्थी के पुश्तैनी पट्टाशुदा भूखण्ड़ के दक्षिणी दिशा में स्थित दुकाननुमा बने कमरों में से 210 वर्गफीट भू भाग प्रार्थी के बड़े भाई देवीदास ने करीब 6 साल पहले अप्रार्थी भवानीसिंह से प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया था जिसका विकय विलेख अप्रार्थी भवानीसिंह ने उसकी सुविधानुसार बाद में पंजीयन कराने हेतू कहा था, परन्तु अप्रार्थी भवानीसिंह ने ग्राम पंचायत, वेलांगरी से मेलमिलाप कर राजकोष को क्षति पहुंचाते हुये प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड़ में से बेचान किये गये भू भाग 210 वर्गफीट का पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को [illegible] भवानीसिंह के नाम से ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने बिना कोई नोटिस जारी [illegible] प्रार्थी व उसके अन्य भाईयों से कोई आपत्ति लिये बगैर तथा बिना [illegible] विधि विरुद्ध प्रकिया अपनाकर पट्टा संख्या 37 जारी किया हैं [illegible] योग्य हैं। यह कि ग्राम पंचायत,

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

वेलांगरी ने उक्त मूल पट्टा सं. 2 के भूखण्ड में से खरीद शुदा भू भाग की गलत रूप से चतुदर्शी अंकित कर अप्रार्थी भवानीसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 37 जारी किया है। उक्त पट्टा संख्या 37 में अंकित चतुर्दशी में पूर्व दिशा की चतुर्दशी में आम रास्ता व दरवाजा बताया है, जबकि मौके पर प्रार्थी के भाई गणेशदास के हक हिस्से में आई दुकान (कमरा) स्थित है एवं वास्तविक रुप से बेचान किये भू भाग दरवाजा दक्षिण दिशा में स्थित है। इस प्रकार, उक्त पट्टा संख्या 37 में पूर्व दिशा में प्रार्थी गणेशदास के हक हिस्से की भूमि को मिलाते हुए गलत रुप से चतुदर्शी अंकित कर पट्टा संख्या 37 जारी किया है। यह कि अप्रार्थी भवानी सिंह ने प्रार्थी के उक्त के पिता व भाई के नाम से बने मूल पट्टा शुदा कब्जाशुदा भूखण्ड़ की भूमि में से बेचान किये गये भू भाग का अप्रार्थी भवानीसिंह ने ग्राम पंचायत, वेलांगरी से मेलमिलाप कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करवाया है, जो काननून निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी भवानीसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 37 जारी करने में तत्कालीन ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने कोई विहित प्रकिया नही अपनाई, न ही कोई नोटिस जारी किये गये, न ही गवाहान के कलमबद्ध किये गये हैं, एवं न ही मौका जांच कर फर्द बनायी गई है। अवैध व विहित प्रकिया के बिना जारी किसी भी पट्टे को निरस्त कराने हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत जिसने जारी किया हैं के प्रत्येक नागरिक को कानूनन हक अधिकार हैं कि ऐसे अवैध पट्टे को कोई भी स्थानीय नागरिक सक्षम न्यायालय में पंचायत निगरानी पेश कर सकता है, हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी स्वयं ग्राम पंचायत वेलांगरी का स्थानीय नागरिक हैं, तथा उक्त विवादित अवैध पट्टा संख्या 37 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी ने कानूनन विधि सम्मत इस न्यायालय में उक्त निगरानी आवेदन पेश किया है। इस प्रकरण में प्रार्थी के अन्य भाईयों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है, चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी भवानी सिंह के नाम से जारी पट्टा संख्या 37 विधि सम्मत विहित प्रक्रिया अपनाकर जारी किया हैं या नही, वाद की विषयवस्तु है। प्रार्थी के संयुक्त पुश्तैनी सम्पति के संबंध में कोई विवाद नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रार्थी गणेशदास वैष्णव ने उक्त निगरानी भवानीसिंह व अन्य के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, उसे प्रस्तुत करने का कोई विधिक हक प्रार्थी को नही है, प्रार्थी कोई पीडीत पक्षकार नही है। प्रार्थी, स्वयं को संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बताकर स्वयं को पटटा संख्या 2 दिनांक 12.4.1956 की 40X40= 1600 वर्गफीट भूमि पुश्तैनी शामलाती होने का कथन कर रहा है, वो सर्वथा गलत है। प्रार्थी के स्वगीय पिता हीरादासजी पुत्र मोतीजी वैष्णव के नाम पटटा संख्या 2 जारी एकमेव नहीं है, वरन् उक्त पट्टा देवीदास पुत्र हीरादास वैष्णव के नाम जारी है, जिसमें देवीदास का 1/2 हक हिस्सा है। अप्रार्थी भवानीसिंह का पटटा संख्या 2/1956 से कोई सम्बन्ध नहीं है। जेर निगरानी पटटा संख्या 37 दिनांक 6.7.2017 को प्रार्थी के स्वर्गीय पिता व जीवित भाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। जेर निगरानी पटटा संख्या 37/2017 की क्षेत्रफल 210 वर्गफीट भूमि व उस पर निर्मित दुकाननुमा कमरा प्रार्थी के बडे भाई से क्रय नही किया है। अप्रार्थी भवानीसिंह के पट्टाशुदा भूमि स्वर्गीय हीरादासजी व उनके जीवित पुत्र देवीदास से क्रय शुदा भूमि नही है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी विधि विरूद्ध प्रस्तुत की है जो काबिज खारिज के है। प्रार्थी के निगरानी आवेदन के तथ्य विधिक तथ्य नही है। प्रार्थी का यह कथन कि वो संयुक्त रूप से आपसी समझ के पिता की स[illegible] है, यह निगरानी का विषय नहीं है। प्रार्थी के बडे भाई देवीदास ने करी[illegible] भवानीसिंह से प्रतिफल प्राप्त कर पटटा सं 2 दिनांक 12–4–1956 [illegible] कोई सबूत विक्रय या अपंजीकृत दस्तावेज रेकर्ड पर [illegible] राजस्थान पंचायती राज नियम

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

157(1) के तहत उस पर निर्मीत गृह (कमरा/मकान) आबादी भूमि अप्रार्थी भूमि अप्रार्थी भवानीसिंह को 50 वर्षों से भी अधिक पुराने गृह का विनियमितीकरण है तथा पंचायत द्वारा नियमानुनार पटटा 37/2017 जारी किया गया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत वेलांगरी का वार्ड पंच है। अप्रार्थी भवानीसिंह का पुश्तैनी गृह विनियमितीकरण कुल नाप 217.50 वर्गफीट बाडा नुमा नजुल सम्पति (दूकान/गृह), के संबंध में कथन सरासर गलत, मिथ्या एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी की निगरानी किसी निर्णय या आदेश पंचायती राज संस्था के किसी प्रोसिडींग के विरूद्ध नहीं होने से काबिज खारीजी के है। प्रार्थी की उक्त निगरानी मियाद बाहर है, निगरानी हेतु विधि में कोई मियाद निश्चित नहीं है, फिर भी प्रार्थी को Reasonable Time एक वर्ष के भीतर पेश करनी चाहिए थी, लेकिन प्रार्थी ने 6 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है जो सर्वधा मियाद बाहर है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें प्रार्थी व अप्रार्थी भवानीसिंह की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा अप्रार्थी भवानीसिंह पुत्र वागसिंहजी राजपूत, निवासी– वेलांगरी के पक्ष में क्षेत्रफल 217.50 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि ''प्रार्थी के पिता स्वर्गीय हीरादासजी द्वारा उनके जीवनकाल में वर्ष 1956 में अर्थात 63 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत, वेलांगरी से आम निलामी में भूखण्ड़ खरीद शुदा है जिसका पट्टा संख्या 2 ग्राम पंचायत, वेलांगरी द्वारा दिनांक 12.4.1956 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का जारी किया हुआ है।'' प्रार्थी का यह भी कथन है कि ''प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी पैतृक भूखण्ड़ के दक्षिणी दिशा में स्थित

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:57:57 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

दुकाननुमा बने कमरों में से 210 वर्गफीट भू भाग प्रार्थी के बड़े भाई देवीदास ने करीब 6 साल पहले अप्रार्थी संख्या– 1 (भवानीसिंह) को को प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया था जिसका विक्रय विलेख अप्रार्थी ने उसकी सुविधानुसार बाद में पंजीयन कराने हेतु कहा था, परन्तु अप्रार्थी सं. 1 (भवानीसिंह) ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मेलमिलाप करते हुये राजकोष को क्षति पहुंचाते हुये प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व के उक्त पुश्तैनी प्लोट में से बेचान किये गये भू भाग 210 वर्गफीट का पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को अप्रार्थी संख्या– 1 (भवानीसिंह) के नाम से नियम 157 (1) जारी किया गया हैं जबकि विधि अनुसार उक्त बेचान शुदा भू भाग का नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाकर अप्रार्थी भवानीसिंह द्वारा विक्रय विलेख पंजीयन कराना था।'' लेकिन प्रार्थी निगरानीकर्ता गणेशदास ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा इकरार नामा आदि प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थी गणेशदास के भाई देवीदास ने उक्त पट्टा संख्या 2 दिनांक 12.4.1956 की भूमि में से क्षेत्रफल 210 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी भवानी सिंह को बेचान किया गया हो एवं उसी भूमि का अप्रार्थी गणेशदास ने ग्राम पंचायत, वेलांगरी से पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को प्राप्त किया हो।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, वेलांगरी से प्रश्नगत पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 की प्राप्त मिसल संख्या 35 दायर दिनांक 05.5.2017 फैसल दिनांक 06.6.2017 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी भवानी सिंह के आवेदन पर ग्राम पंचायत, वेलांगरी ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालना करते हुए क्षेत्रफल 217.50 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत विनियमितिकरण करते हुए पट्टा संख्या 37 दिनांक 06.7.2017 को जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13 अक्टूम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 16:37:57 IST
Reason: SelfAttested